न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला – खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 12/2024 | तारीख दायर 14.03.24/2024 | तारीख फैसला 05/07/2024

उनवान

सारूप पुत्र स्व. श्री जमील जाति मेव निवासी ग्राम शेखपुर अहीर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

————:: प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

————:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

र्थीगण :– श्री इस्लामुदीन , एडवोकेट उपस्थित

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं. 276 रकबा 0.4400है0 व हाल जी खसरा नं. 227 रकवा 0.0800है0, 230 रकवा 0.0300है0, 297 रकवा 0.2100है0, 299 रकवा 0.0600है0, 345 I 0.1900है0, 353 रकवा 0.2500है0, 357 रकवा 0.1000है0, 358 रकवा 0.2300है0, 359 रकवा 0.1100है0, 360 I 0.1100है0, 361 रकवा 0.2800है0, 362 रकवा 0.2700है0, 363 रकवा 0.4900है0, 364 रकवा 0.2800है0, वाके शेखपुर अहीर व हाल आराजी खसरा नं. 1771 रकवा 0.2800है0, 1795 रकवा 0.2800है0 व हाल आराजी रा नं. 1796 रकवा 0.2500है0, 1798 रकवा 0.2600है0, 1813 रकवा 0.1500है0, 1834 रकवा 0.2800है0 व हाल जी खरारा नंबर 1817 रकवा 0.4000है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित वास्ते मुलाहिजा नकल हाल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी व प्रार्थी के वारजन की संयुक्त कब्जे खातेदारी की भूमि हैं। वर्णित आराजी मे मिन प्रार्थी व परिवार वालों का मुताबिक ावन्दी हिस्सा निहित है। वर्णि त आराजी मिन प्रार्थी को अपने पिता जीमल से विरासत से मिली है। राजस्व चारियो व अधिकारियो ने इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करते समय प्रार्थी का नाम शाहरूख का अंकन कर दिया, इस ाय मिन प्रार्थी नाबालिग था। जिसके अनुसार उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मिन प्रार्थी का नाम हरूख चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही नाम सारूप है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, आयकर कार्ड, रिवारिक राशन कॉर्ड मे सही नाम सारूप का अंकन दर्ज है। वर्णित आराजी की जमाबन्दी मे मिन प्रार्थी का लत नाम शाहरूख चला आ रहा है, जिससे मिन प्रार्थी के हितो पर कुठाराघात होता है। प्रार्थी जो कि ग्रामीण रिवेश का काश्तकार पेश है, जिसे कानून कायदे की कतई जानकारी नही है। प्रार्थी को अपनी पारिवारिक जरूरत ; लिए रकम की आवश्कता थी, जिस पर मिन प्रार्थी ने हल्का पटवारी के पास जाकर जमाबन्दी का अवलोकन कैया तो मिन प्रार्थी को जब इस गलत अंकन की जानकारी हुई। जिस पर मिन प्रार्थी ने तहसीलदार तिजारा को ाम शुद्वि करने का आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2024 को पेश किया जिस पर तहसीलदार, तिजारा ने प्रार्थी को दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट परिधि मे आता है और न्यायालय मे जाकर चारा जोही करो। वर्णित आराजी की जमाबन्दी मे मिन प्रार्थी का गलत नाम शाहरूख दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी पर लोन लेने व बेचान करने से असमर्थ है। इसलिए न्यायहित मे मिन प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान्जी की समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा कर पेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि हाल आराजी 276 रकबा 0.4400है0 व हाल आराजी खसरा नं. 227 रकबा 0.0800है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.13 10:33:29 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.0300है0, 297 रकबा 0.2100है0, 299 रकबा 0.0600है0, 345 रकबा 0.1900है0, 353 रकबा 0.2500है0, रकबा 0.1000है0, 358 रकबा 0.2300है0, 359 रकबा 0.1100है0, 360 रकबा 0.1100है0, 361 रकबा 0.2800है0, रकबा 0.2700है0, 363 रकबा 0.4900है0, 364 रकबा 0.2800है0, वाके ग्राम शेखपुर अहीर व हाल आराजी नं. 1771 रकबा 0.2800है0, 1795 रकबा 0.2800है0 व हाल आराजी खसरा नं. 1796 रकबा 0.2500है0, 1798 0.2600है0, 1813 रकबा 0.1500है0, 1834 रकबा 0.2800है0 व हाल आराजी खसरा नंबर 1817 रकबा 0. है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की जमाबन्दी मे प्रार्थी का गलत नाम शाहरूख ान पर प्रार्थी का सही नाम सारूप का अंकन कर शुद्धि किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया एंव पत्रावली पर लदार तिजारा की रिपोर्ट मांगी गई। पत्रावली के संवध मे अप्रार्थी/ तहसीलदार तिजारा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क/राजस्व/2024/540 दिनांक 28.05.2024 में अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का, ईशरोदा रिपोर्ट ली गई। जिसमे रिपोर्ट निम्नानुसार है कि प्रार्थी सारूप पुत्र जमील जाति मेव निवासी शेखपुर अहीर ेल तिजारा के वाके ग्राम शेखपुर अहीर आराजी ख.नं. 276, 227, 230, 297, 299, 345, 353, 357, 358, 359, 362, 363, 364 वाके ग्राम ईशरोदा के आराजी ख.नं. 1771, 1795, 1799, 1796, 1798, 1813, 1834, 1817 मे लिग शाहरूख पुत्र जीमल जाति मेव निवासी शेखपुर अहीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक पटवारी हल्का, दा के जांच रिपोर्ट अनुसार शाहरूख पुत्र जमील व सारूप पुत्र जमील अलग–अलग व्यक्ति ना होकर एक ही त है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे शाहरूख पुत्र जमील नावालिग दर्ज रिकार्ड है। समस्त दस्तावेजो में सारूप जमील मेव निवासी शेखपुर अहीर अंकित है। जो कि दस्तावेजो के आधार पर वालिग है। राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1956 की धारा 136 के तहत शाहरूख पुत्र जमील के स्थान पर सारूप पुत्र जीमल जाति मेव वालिग सी शेखपुर अहीर तहसील तिजारा के पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार शुद्व किया जाना उचित हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश सरपंच, पंचायत, ईशरोदा पं.स. तिजारा (अलवर) के पत्रांक SPL01 दिनांक 18.12.2023 मे अवगतक कराया है कि णित किया जाता है सारूप पुत्र जीमल निवासी ग्राम शेखपुर अहीर जाति मेव उम्र 23 वर्ष है। पहचान पत्र एंव ार कार्ड के अनुसार सारूप नाम है। जमीन के रिकॉर्ड मे शाहरूख व साहरूख कर दिया जो गलत अंकन हो । उक्त नाम सारूप कर रिकॉर्डनुसार किया जाए। मे इनकी भली भांति जानता हू। में इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ।

पत्रावली अवलोकन पश्चात् उपस्थित अधिवक्ता की वहस प्रार्थना पर सुनी गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेशित या जाता है कि हाल आराजी 276 रकबा 0.4400है0 व हाल आराजी खसरा नं. 227 रकबा 0.0800है0, 230 कबा 0.0300है0, 297 रकबा 0.2100है0, 299 रकबा 0.0600है0, 345 रकबा 0.1900है0, 353 रकबा 0.2500है0, 357 कबा 0.1000है0, 358 रकबा 0.2300है0, 359 रकबा 0.1100है0, 360 रकबा 0.1100है0, 361 रकबा 0.2800है0, 362 कबा 0.2700है0, 363 रकबा 0.4900है0, 364 रकबा 0.2800है0, वाके ग्राम शेखपुर अहीर व हाल आराजी खसरा नं. 771 रकबा 0.2800है0, 1795 रकबा 0.2800है0 व हाल आराजी खसरा नंबर 1799 रकबा 0.1400है0 व हाल ाराजी खसरा नं. 1796 रकबा 0.2500है0, 1798 रकबा 0.2600है0, 1813 रकबा 0.1500है0, 1834 रकबा 0.2800है0 हाल आराजी खसरा नंबर 1817 रकबा 0.4000है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की जमाबन्दी मे प्रार्थी का गलत नाम शाहरूख के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम सारूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.13 10:33:29 IST
Reason: SelfAttested

(संजीव कुमार वर्मा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)